

डिक्री व मुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 309/2024

1. रामप्रताप पुत्र श्योपतराम जाति बावरी निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. माया देवी पत्नी भंवरलाल पुत्री श्योपतराम जाति बावरी निवासी नाथवाना हाल आबाद सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. रामपाल पुत्र श्योपतराम जाति बावरी निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

.....वादीगण

श्योपतराम पुत्र खेताराम जाति जाति बावरी निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

माया देवी पत्नी सरबन कुमार पुत्री श्योपतराम जाति बावरी निवासी नाथवाना हाल आबाद ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

.....प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री विनोद कुमार शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक नं. 3 एमजेडी खाता सं. 21/13 मे प्रतिवादी संख्या 1 श्योपतराम पुत्र खेताराम के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को 4/5 हिस्सा के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज........निल........मुब्लिक........निल........बाबत........निल........खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालांना आज की तारीख वसूलयाबी तक.......... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...10.1.2025...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया